कार्यालय प्रधानाचार्यः राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ उ0प्र0–243601

पत्रांक सं0– 770/रा0मे0का0ब0/2019 दिनांकः– 11.09.19

राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ उ0प्र0 में संविदा के आधार पर आचार्य ,सह–आचार्य, सहा0 आचार्य के पदों पर सेवायोजन हेतु पुर्नविज्ञप्तिः–

शासनादेश संख्या – 4661/71–1–08–जी–63/2008 दिनांक 15 दिसम्बर 2008 एवं उक्त शासनादेश के कम में समय–समय पर निर्गत अन्य संविदा शासनादेशों एवं शासनादेश संख्या –1079(अ)/71–1–2017–जी–70/2017 दिनांकित –24/05/2017 के अनुपालन में राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ में रिक्त **आचार्य, सह–आचार्य, सहायक आचार्य** के पदों को संविदा के आधार पर एवं आचार्य के नियमित पदो के सापेक्ष अन्य राजकीय मेडिकल कालेजों चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालय से अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त आचार्यों को शासनादेश संख्या–250/2018/4067/71–1–2017–जी–63/2008 दिनांक–20 सितम्बर 2018 के अधीन 2,20,000 (दो लाख बीस हजार) प्रति माह के नियत वेतन पर संविदा के आधार पर पुनर्योजित करने हेतु आवेदन पत्र एतद्द्वारा आमंत्रित किये जाते है। इन पदों पर **वाक–इन–इन्टरव्यू (Walk- in-Interview)** के माध्यम से कालेज स्तर से संस्तुति के आधार पर अन्तिम चयन शासन/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के स्तर से किया जाना है। चयन की प्रक्रिया एम0सी0आई0 की अद्यतन संस्तुति के अनुसार पदो के भरे जाने तक प्रत्येक मंगलवार को प्रधानाचार्य कार्यालय में सम्पन्न की जाती है। इच्छुक अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों, उनकी सत्यापित छायाप्रतियों की 02 सेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एवं 02 फोटो सहित उपस्थित हों। शासन के नियमानुसार आरक्षण लागू होगा। **पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है या रिक्त होने पर नये पद भी सम्मिलित हो सकते हैं।** पदों की अद्यतन स्थिति www.updgme.in एवं www.gmcbadaun.com पर उपंलब्ध हैं।

राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ में संविदा पर चयन हेतु चिकित्सा शिक्षकों के रिक्त पदों की स्थिति				
क्र0सं0	विशिष्टता का नाम	राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ		
		आचार्य	सह–आचार्य	सहायक आचार्य
1.	एनेस्थेसिया	00	02	00
2.	बायोकैमिस्ट्री	00	01	00
3.	पैथोलॉजी	01	01	02
4.	माइक्रोबायोलॉजी	01	00	00
5.	फोरेन्सिक मेडिसिन	01	00	00
6.	कम्यूनिटी मेडिसिन	01	02	02(एक पद सहा0आचार्य–एपीडेमोलोजिस्ट)
7.	फार्माकोलॉजी	00	01	01
8.	सामान्य मेडिसिन	01	02	02
9.	साइकियाट्री	00	00	01
10.	बाल रोग विभाग	01	01	00
11.	रेडियोडायग्नोसिस	00	01	00
12.	स्किन एण्ड वी0डी0	00	00	01
13.	सामान्य सर्जरी	00	01	00
14.	स्त्री एवं प्रसूति	01	01	00
15.	अस्थि रोग विभाग	01	00	00
	योग–	08	13	09

संविदा की शर्त निम्नवत् हैः–

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले **आचार्यो, सह–आचार्यो एवं सहायक आचार्यो, का वेतन नवीनतम शासनादेश के अनुसार देय होगा।** इस हेतु आवेदक को Medical Council of India, Minimum. Qualification for teachers in Medical Institutions Regulations, 1998 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
2. चिकित्सा शिक्षकों के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु 70 वर्ष से कम आयु सीमा के अभ्यर्थी अभ्यर्थन कर सकते है।
3. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ0प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापको की सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन) नियामावली,2005 में निहित के अनुसार होगी।
4. ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नही करेगें।
5. प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
6. कोई भी चिकित्सा शिक्षकों को प्राइवेट में देखने के लिये वाध्य नहीं करेगा।
7. प्राइवेट पैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
8. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन /भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होगें।
9. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समाप्त की जा सकती है।
10. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी /नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी सन्तोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल पुनः बढाया जा सकेगा।
11. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए आवश्यक होगा कि वह करार के 15 दिन के भीतर सम्बधित मेडिकल कालेज, में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रदद् मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ को तत्काल भेजी जायेगी।
12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालवधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन संबंधी सुंविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिए बोनस देय नही होगा।
13. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
14. संविधा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
15. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये । संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षक द्वारा अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य मे अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीयकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेगे और न ही उन्हे निर्धारित नियम नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमान्य होगी।

16. साक्षात्कार के समय अभ्यार्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेगें कि उनके विरूद्ध मा0 न्यायायालय कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं हैं और यदि उनके विरूद्ध प्रतिकुल तथ्य पाया जाता हैं तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
17. उक्त संविदा पदों की चयन प्रकिया प्रधानाचार्य की संस्तुति के आधार पर शासन/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से की जानी है। अन्तिम चयन की प्रक्रिया शासन/महानिदेशालय में ही निहित होगीं ।
18. पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
19. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।

नोट–साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
बदायूँ।

पत्रांक सं0-778/रा0मे0का0/2019 तद्दिनांकः- 11.9.19

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. **प्रमुख सचिव,** चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. **महानिदेशक,** चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय की बेवसाइट पर प्रदर्शित कराने की कृपा करें।
3. **वित नियंत्रक,** राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ।
4. **मुख्य चिकित्सा अधिकारी,** बदायूँ।
5. **प्रधानाचार्य,** मेडिकल कालेज कानपुर /मेरठ/आगरा/झांसी/गोरखपुर/इलाहाबाद/अम्बेडकर नगर/कन्नौज/जालौन/आजमगढ़/सहारनपुर/बांदा।
6. **रजिस्ट्रार, के0जी0एम0यू0, लखनऊ** एवं यू0पी0 इन्स्टीयूट ऑफ मेडिकल साइंसेस सैफई इटावा उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कालेज, के नोटिस वोर्ड पर प्रदर्शित कराने की कृपा करें।
7. **प्रधानाचार्य**, जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कालेज, के नोटिस वोर्ड पर प्रदर्शित कराने की कृपा करें।
8. **निदेशक,** इन्स्टीयूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, बी0एच0यू0, वराणसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कालेज, के नोटिस वोर्ड पर प्रदर्शित कराने की कृपा करें।
9. **प्रभारी अधिकारी,** बेवसाइट , राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को कालेज की बेवसाइट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।
10. **राजकीय मेडिकल कालेज,** बदायूँ के नोटिस बोर्ड/सूचना पट् हेतु।
11. **निदेशक, सूचना** एवं प्रसार, सूचना भवन, पार्क रोड उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आश्य के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सूचना शीघ्रताशीघ्र न्यूनतम तीन समाचार पत्रों (दो हिन्दी व एक अग्रेजी) पर प्रकाशित करने का कष्ट करें। **(सी0डी0 संलग्न)**

प्रधानाचार्य,
राजकीय मेडिकल कालेज,
बदायूँ।